झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–33 / 2006 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5063 दिनांक– 30.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

(i) मुजफ्फरपुर कोषागार से वर्ष 1999–2000 के अंतिम सप्ताह में की गयी निकासी के बाद जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक– 2687 दिनांक– 29.05.2000 तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक– 977 दिनांक– 22.03.2003 से प्राप्त तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा 31 मार्च 2000 को 7,20,000.00 (सात लाख बीस हजार)रू० की निकासी की गयी एवं पुनः पाँच माह के बाद उसे कोषागार में जमा कर दिया गया। इस प्रकार उक्त राशि की निकासी का औचित्य नहीं रहते हुए राशि का आवंटन के निकासी का आप पर आरोप बनता है।

इस राशि को वापस कोषागार में जमा करने में पाँच माह का समय लगा जो अव्यहारिक एवं अनुचित है। स्पष्ट है कि अगर जाँच नहीं होती तो गलत अभिश्रव तैयार कर इसे अपव्यय कर दिया जाता।

उक्त स्थिति में आपको वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण के लिए दोषी पाया जाता है।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध उक्त राशि की निकासी का औचित्य नहीं रहते हुए भी राशि की निकासी करने का प्रयास का आरोप प्रमाणित होता है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री मण्डल से निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(i) निन्दन

(ii) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. श्री मण्डल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मण्डल ने अपने कारण पृच्छा में प्रायः उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया है, जिसे उन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। श्री मण्डल ने अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार किया जा सके।

6. अतएव श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए, चूँकि श्री मंडल दिनांक– 31.12.2019 को सेवानिवृत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तावित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रभावी नहीं होगा, की स्थिति में निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), राँची / उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2912 दिनांक– 13.07.2017 के क्रम में / उप सचिव(प्र०), झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4489 .....राँची / दिनांक 19/8/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव(प्र०), झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल (ID- 3438) कार्यपालक अभियंता को यह आदेश अपने स्तर से तामिला कराने की कृपा किया जाय / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/08/19

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव